प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों और भारत सरकार के आउटपुट-आउटकम बजट 2018-19 ने उच्च शिक्षा में पहुंच, समता, गुणवत्ता और शासन के रूप में चार मुख्य क्षेत्रों की पहचान की, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । राजस्थान राज्य उच्च शिक्षा आयोजना ने भी अवसंरचना के विकास के लिए अपर्याप्त संसाधन, सामाजिक रूप से वंचित जनसंख्या के विशाल वर्ग की उच्च शिक्षा तक पहुंच में कमी, समग्र और वर्ग वार सकल नामांकन अनुपात में कमी, कमजोर पाठ्यक्रम, अपर्याप्त शिक्षण सहायता, गुणवत्तापूर्ण पर्याप्त शिक्षकों की कमी, उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात, उद्योगों के साथ जुड़ाव में कमी, और उचित प्रबंधन सूचना तंत्र तथा निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र की अनुपस्थिति आदि महत्व के क्षेत्रों को चिन्हित किया ।

उल्लेखनीय है कि इस लेखापरीक्षा के दौरान जांचे और मूल्यांकन किए गए अनेकों पहलुओं जिसमें पहुंच, शिक्षण और शोध की गुणवत्ता और संस्थागत शासन आदि क्षेत्र शामिल हैं, को हाल ही में जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 में भी प्राथमिकता दी गई है ।

लेखापरीक्षा आशा करती है कि यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 को लागू करने के लिए सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्य हेतु प्रशासकों का मार्गदर्शन करेगी ।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है ।